न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 654 / 2023

अनवान : –

1. सुखदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. आसदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
2. लिछमा पत्नी आसदास पुत्री चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
3. गुलाबदास पुत्र आसदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भानीपुरा तहसील भानीपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 16 / 388 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17 / 216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18 / 65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 243 / 279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में से 449 / 4790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 77 / 151 की कुल 4.4010 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 6 / 4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 16867 / 138110 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सख्या 3 तथा रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 508 / 414 की कुल 14.7500 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार [illegible] है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की [illegible] का लड़का है प्रतिवादीगण ग्राम भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा में रहते है एवं वादी ग्राम थिराना में रहता है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा के लिए विवादित भूमि का आपसी बंटवारा कर रखा है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाहमी बंटवारे के मुताबिक रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है वह वादी को प्राप्त होगी एवं रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा की भूमि जो वादी के नाम दर्ज है वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को मुताबिक हक व हिस्सा प्राप्त होगी इसी अनुसार विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की भूमि में वादी का नाम सुखदास दर्ज है एवं रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा की भूमि में वादी का नाम सुखरामदास दर्ज है जबकि सुखदास व सुखरामदास एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम सुखदास है। वाद भूमि मुताबिक बाहमी बंटवारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक बंटवारा न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 3 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में वाद से संबंधित जमाबंदीया पेश की।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि एक ही परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की भाभी है एवं प्रतिवादी न0 3 भाई का लड़का है प्रतिवादीगण ग्राम भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा मे रहते है एवं वादी ग्राम थिराना में रहता है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा के लिए विवादित भूमि का आपसी बंटवारा कर रखा है बाहमी बंटवारे के मुताबिक रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है वह वादी को प्राप्त होगी एवं रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा की भूमि जो वादी के नाम दर्ज है वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को मुताबिक हक व हिस्सा प्राप्त होगी इसी अनुसार विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रही है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की भूमि में वादी का नाम सुखदास दर्ज है एवं रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा की भूमि में वादी का नाम सुखरामदास दर्ज है जबकि सुखदास व सुखरामदास एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम सुखदास है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 16/388 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में से 449/4790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 77/151 की कुल 4.4010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 16867/138110 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सख्या 3 तथा रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 508/414 की कुल 14.7500 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का भाई है प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की भाभी है एवं प्रतिवादी न0 3 भाई का लड़का है प्रतिवादीगण ग्राम भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा मे रहते है एवं वादी ग्राम थिराना में रहता है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा के लिए विवादित भूमि का आपसी बंटवारा कर रखा है बाहमी बंटवारे के मुताबिक रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है वह वादी को प्राप्त होगी एवं रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा की भूमि जो वादी के नाम दर्ज है वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को मुताबिक हक व हिस्सा प्राप्त होगी इसी अनुसार विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर की भूमि में वादी का नाम सुखदास दर्ज है एवं रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा की भूमि में वादी का नाम सुखरामदास दर्ज है जबकि सुखदास व सुखरामदास एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम सुखदास है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 16/388 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में से 449/4790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 77/151 की कुल 4.4010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 16867/138110 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सख्या 3 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 508/414 की कुल 14.7500 हैक्ट भूमि सुखरामदास पुत्र चन्द्रदास के नाम दर्ज है, में सुखरामदास पुत्र चन्द्रदास का नाम कलमजन किया जाकर 9.6900 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को व 2.5300 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को तथा 2.5300 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:26 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 654/2023

अनवान : –

1. सुखदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. आसदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
2. लिछमा पत्नी आसदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
3. गुलाबदास पुत्र आसदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भानीपुरा तहसील भानीपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 654 सन 2024 निर्णय दिनांक – 02/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 16/388 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 243/279 की कुल 19.1600 हैक्ट भूमि में से 449/4790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 77/151 की कुल 4.4010 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या [illegible] की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 16867/138110 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा के जमाबंदी सम्वत [illegible]73–76 के खाता संख्या 508/414 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 14.7500 हैक्ट भूमि सुखरामदास पुत्र चन्द्रदास के नाम दर्ज है, में सुखरामदास पुत्र चन्द्रदास का नाम कलमजन किया जाकर 9.6900 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को व 2.5300 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को तथा 2.5300 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:26 IST
Reason: SelfAttested